

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्या: R-1082 /जी-5 01अति०/2017

दिनांक : 08 मई, 2017

विषय— प्रदेश के राजस्व ग्रामों में ग्राम पंचायत/सार्वजनिक भूमि/सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाने व भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में सरकारी/निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की शिकायतें शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्राप्त होती रहती हैं। इन प्रकरणों में समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण जहां जनमानस में शासन/प्रशासन के प्रति विश्वास में कमी आती है, वही भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। सरकार का संकल्प है कि ग्राम पंचायत/सार्वजनिक भूमि/सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाकर दबंगों और भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये और दोषियों को सजा दिलायी जाये।

2. यह अनुभव किया गया है कि कतिपय प्रभावशाली एवं दबंग व्यक्तियों, विकासकर्ताओं, निर्माणकर्ताओं आदि द्वारा कहीं राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कर, कहीं स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से न केवल शासकीय भूमियों, बल्कि विभिन्न धार्मिक संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों, चैरेटेबिल ट्रस्टों, लावारिस सम्पत्तियों, गरीब निर्बल एवं कमजोर व्यक्तियों की निजी भूमियों पर भी अवैध कब्जा कर लिया जाता है। शासकीय विभागों द्वारा तो फिर भी अपनी सम्पत्ति संरक्षित करने के लिए विधिक कार्यवाही कर ली जाती है, परन्तु अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति को संरक्षित करने में अपने आप को असहाय महसूस किया जाता है तथा वे ऐसे दबंग व्यक्तियों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं।

अतः कब्जा की गयी संपत्तियों को चिन्हित कर भू-माफियाओं के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से पूरी क्षमता के साथ कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है, जिससे वह हतोत्साहित हों तथा आम आदमी अपनी सम्पत्ति को संरक्षित रखते में असहाय महसूस न करें। शासनादेश संख्या 402/1-2-2017-1(सामान्य)/2017 दिनांक 01 मई 2017 द्वारा एन्टी भूमाफिया टास्क फोर्स गठित किये जाने व शासकीय


18/5/17

एवं निजी भूमि/सम्पत्ति पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

3. परिषदादेश संख्या-आर-1516/जी-5-19आर(रिट)/12, दिनांक अक्टूबर 04, 2012 तथा परिषदादेश संख्या आर-750/जी-5-19आर(रिट)/2015 दिनांक 27 मई 2015 द्वारा पूर्व में प्रदेश में ग्राम सभाओं की भूमि यथा तालाब, पोखर, चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान, कुआ तथा अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी निकाय, प्राधिकरण, उपक्रम की भूमियों पर से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही किये जाने के विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

शासन के उपरोक्त आदेशों एवं संकल्प के क्रम में परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की समस्त ग्राम सभाओं में सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा तालाब, पोखर, चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान, सड़क, किनारे की सार्वजनिक भूमि, कुआं, चकमार्ग, नाली आदि पर से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटा कर ग्राम पंचायत एवं सार्वजनिक भूमियों को भूमाफियाओं के अवैध कब्जे/अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये।

4. प्रायः यह देखा गया है कि ग्राम पंचायत व सार्वजनिक भूमि/सम्पत्ति से राजस्व कर्मियों द्वारा पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाता है, परन्तु उसके कुछ समय बाद ही गाँव के दबंगों और भूमाफियाओं द्वारा पुनः उस भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है, जिससे राज्य सरकार, ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय प्राधिकारी की भूमियों/परिसम्पत्तियों का दुरुपयोग होता है। अतिक्रमण पुराने हो जाने पर इन भूमियों/परिसम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाना प्रशासन के लिये चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है व प्रायः अतिक्रमण हटाने में कानून व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है।

5. अतः अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी समस्त कार्यवाही विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस प्रकार की जाये कि उसमें विधिक त्रुटि न रहे और पुनः अतिक्रमण की सम्भावना भी न्यूनतम हो जाये, व साथ ही पुनः अतिक्रमण किये जाने की स्थिति में अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही भी सम्भव हो सके। अतः ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के लिये की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश संकलित रूप से निम्नवत् दिये जाते हैं।

6. ग्राम पंचायत की भूमि एवं अन्य शासकीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने हेतु विधिक प्राविधान

6.1 ग्राम पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिये राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 में ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने के लिये सुस्पष्ट प्राविधान किये गये हैं (संलग्नक-1)।


8/5/12

6.2 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिये उ0प्र0 राजस्व नियमावली 2016 के नियम 66 व 67 में ग्राम पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया दी गई है (संलग्नक-2)।

6.3 ग्राम पंचायतों की भूमि के अतिरिक्त अन्य सरकारी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों/भूगृह आदि पर अतिक्रमण हटाने के लिये उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम 1972 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. ग्राम पंचायतों की भूमि/परिसम्पत्ति से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया:-

7.1 ग्राम पंचायत की परिसम्पत्तियों/भूमि की सुरक्षा का दायित्व भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव का है। भूमि प्रबन्धक समिति सचिव के रूप में सम्बन्धित हल्के के लेखपाल का प्राथमिक दायित्व है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि/परिसम्पत्ति पर होने वाले अतिक्रमण को रोके व इस प्रकार का अतिक्रमण पाये जाने पर उसकी सूचना विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने उच्चाधिकारियों को दे। विधिक व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत की भूमि/सम्पत्ति की क्षति, उसके दुरुपयोग और उसके गलत अतिभोग को रोकने के लिये भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष/सदस्य/सचिव अथवा ग्रामसभा का कोई अन्य सदस्य राजस्व संहिता नियमावली के आर0सी0 प्रपत्र-19 (संलग्नक-3) के अनुसार उसकी सूचना सम्बन्धित तहसीलदार/सहायक कलेक्टर को दे सकता है, परन्तु भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य सचिव होने के नाते इस प्रकार के किसी अतिक्रमण अथवा सम्पत्ति के दुरुपयोग की सूचना देने का प्रथम दायित्व सम्बन्धित लेखपाल का ही है। अतः यदि ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण/सम्पत्ति के दुरुपयोग की सूचना ग्राम पंचायत के सदस्य सचिव (लेखपाल) द्वारा समय से नहीं दी जाती है और अतिक्रमण हटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती, तो यह कर्तव्य पालन में शिथिलता व कदाचार की श्रेणी में माना जायेगा और इस अतिक्रमण हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

7.2 ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस0) में राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत वाद दर्ज करते हुए सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता को आर0सी0 प्रपत्र संख्या 20 (संलग्नक-4) के अनुसार नोटिस जारी किया जायेगा।

7.3 यदि अतिक्रमणकर्ता द्वारा निर्धारित 14 दिन की अवधि के अन्दर स्वतः अतिक्रमण नहीं हटाया जाता व नोटिस में इंगित क्षतिपूर्ति की धनराशि भाटक के रूप में जमा नहीं की जाती है और न ही कोई संतोषजनक उत्तर दिया जाता है, तो तहसीलदार/सहायक कलेक्टर द्वारा पक्षकारों की सुनवाई कर यथाविधि आदेश पारित किये जायेंगे व राजस्व निरीक्षक/लेखपाल को एक सप्ताह के अन्दर यथावशकता पुलिस बल की सहायता से अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश दिये जायेंगे।


18/5/12

7.4 सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/लेखपाल द्वारा तहसीलदार/सहायक कलेक्टर के आदेश की तिथि से विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटवाया जायेगा। इस कार्य में यथासम्भव ग्राम प्रधान, ग्राम राजस्व समिति के सदस्यों व ग्राम के अन्य गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग भी प्राप्त किया जाये व अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की यथासम्भव फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी भी करायी जाये।

7.5 अतिक्रमण हटवाये जाने के उपरान्त सम्बन्धित लेखपाल द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप आकार पत्र 67 (क) (संलग्नक-5) में तहसीलदार/सहायक कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। रिपोर्ट के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, पदनाम, वेतनमान आदि का भी उल्लेख इस रिपोर्ट में किया जायेगा। अतिक्रमण विरोधी दस्ते के प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप आकार पत्र 67 (ख) (संलग्नक-6) के अनुसार क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन व्यय की गणना करते हुए वसूली हेतु हर्जाने की कुल धनराशि की गणना शीट तैयार की जायेगी व सम्बन्धित असिस्टेंट कलेक्टर/तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

7.6 तहसीलदार/सहायक कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/लेखपाल से अनुपालन आख्या व क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन व्यय की गणना शीट प्राप्त होने पर विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित प्रारूप आकार पत्र 67 (ग) (संलग्नक-7) में अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध हर्जाना वसूली मांगपत्र जारी किया जायेगा। सम्बन्धित लेखपाल द्वारा उक्त हर्जाना वसूली मांगपत्र में उल्लिखित क्षतिपूर्ति व निष्पादन व्यय की वसूली सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता से अधिकतम 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित करते हुए धनराशि समेकित ग्राम/ तहसील/जिला निधि में जमा की जायेगी। निर्धारित मद में जमा धनराशि की चालान/रसीद की प्रति सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायी जायेगी। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा मांगपत्र के सापेक्ष जमा करायी गयी धनराशि का विवरण राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस0) में अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा वाद पत्रावली को तब तक दाखिल दफ्तर नहीं किया जायेगा, जब तक मांगपत्र में अंकित धनराशि अतिक्रमणकर्ता द्वारा जमा न कर दी जाये।

7.7 यदि अतिक्रमणकर्ता द्वारा हर्जाना वसूली मांगपत्र जारी होने के 15 दिन के अन्दर मांगपत्र में अंकित धनराशि जमा नहीं की जाती तो उक्त हर्जाना धनराशि की वसूली भूराजस्व के बकाये की भांति किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार वसूली प्रमाणपत्र (Recovery Certificate) जारी कर दिया जायेगा। उस दशा में हर्जाना वसूली मांगपत्र में अंकित धनराशि के साथ-साथ नियमानुसार संग्रह प्रभार (Recovery Charges) भी देय होंगे। वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्थिति में वसूली प्रमाणपत्र का विवरण राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस0) में अंकित किये जाने के उपरान्त ही वाद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जा सकेगी।

7.8 हर्जाने (क्षतिपूर्ति व निष्पादन व्यय) की वसूली का विवरण तहसील स्तर पर रजिस्टर बनाकर निर्धारित प्रारूप आर0सी0 प्रपत्र संख्या 21 (संलग्नक-8) में रखा

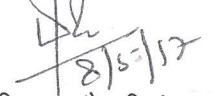
8/5/17

जायेगा व उसकी प्रविष्टि राजस्व न्यायालय कम्प्युटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस0) में भी की जायेगी।

8. अतः आपसे अपेक्षा है कि प्रदेश के समस्त राजस्व ग्रामों में ग्रामसभा भूमि/सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने व भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करते हुये सघन अभियान चलाया जाये। इस अभियान में सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक/लेखपालों के साथ-साथ स्थानीय पुलिस का भी सहयोग प्राप्त कर सभी प्रकार की सार्वजनिक सम्पत्तियों से अतिक्रमण/अवैध कब्जा हटाया जाये, जिससे सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके व भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हें दण्डित कराया जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,



(लीना जौहरी)

आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- पुलिस महानिदेशक, लखनऊ।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(भीष्म लाल वर्मा)

उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित, 2016 की धारा 67—ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति—(1) जहां किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी हुई कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबन्धों के सिवाय अन्यथा रूप से अधिभोग में हो वहां यथास्थिति भूमि प्रबन्धक समिति या अन्य प्राधिकरण या सम्बन्धित लेखपाल विहित रीति से सम्बन्धित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गयी है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो वहां वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उससे क्षति, दुरुपयोग या गलत अधिभोग के लिये प्रतिकर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, की वसूली की जाय और क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा कि सहायक कलेक्टर इस निमित्त अनुज्ञा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है तो सहायक कलेक्टर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का उपयोग कर या करवा सकता है, जैसा कि आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि यथास्थिति सम्पत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिये या गलत अधिभोग के लिये प्रतिकर की धनराशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जाय।

(4) यदि सहायक कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग या गलत अधिभोग करने का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को खारिज कर देगा।

(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन सहायक कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है।

(6) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के उपबन्धों के अध्याधीन सहायक कलेक्टर का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा (5) के अध्याधीन अन्तिम होगा।

(7) इस धारा के अधीन की गयी किसी कार्यवाही में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसी विहित की जाय।



(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में किये गये प्राविधानों को क्रिन्यावित करने के लिये उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली में निम्नवत् नियमों का प्राविधान किया गया है-

(1) नियम 66-धारा 67(1) के अन्तर्गत वांछित सूचना सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सचिव अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी द्वारा आर0सी0 प्रपत्र 19 में सहायक कलेक्टर को दी जायेगी।

(2) नियम 67-सूचना प्राप्त होने या अन्यथा उनकी जानकारी में आने पर सहायक कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसी वह उचित समझे और निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अग्रेतर सूचना प्राप्त कर सकेगा :-

(क) सम्पत्ति को अवैध अध्यासन अथवा दुर्विनियोजन से हुयी क्षति का विवरण जिसमें गांव, खाता संख्या, क्षेत्रफल, चौहद्दी और उक्त क्षति अथवा दुर्विनियोजित की गई सम्पत्ति का बाजारी मूल्य;

(ख) ऐसे दुर्विनियोजन या अवैध अध्यासन से सम्पत्ति को पहुँची क्षति के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पितृनाम और पूरा पता;

(ग) अवैध अध्यासन की अवधि, क्षति या दुर्विनियोजन और सम्मिलित भूखण्डों की भूमि की श्रेणी;

(घ) सम्पत्ति जिसे क्षति पहुँचायी गई अथवा दुर्विनियोजित की गई उसका कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर आगणित मूल्य और नुकसानी की रकम जिसकी वसूली की मांग की गयी।

(2) तत्पश्चात् सहायक कलेक्टर धारा 67(2) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध आर0सी0 प्रपत्र-20 में कारण बताओं नोटिस जारी करेगा कि क्षति, दुर्विनियोजन अथवा अवैध अध्यासन के लिये नोटिस में विनिर्दिष्ट की गयी रकम से अनधिक रकम की वसूली उससे क्यों न की जाय और उसे ऐसी भूमि से बेदखल क्यों न कर दिया जाय।

(3) यदि धारा 67(2) के निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दर्शाया गया कारण पर्याप्त नहीं पाया जाता है तो सहायक कलेक्टर निदेश दे सकेगा कि :-

(क) ऐसे व्यक्ति को आवश्यक बल का प्रयोग कर बेदखल किया जाये; अथवा

(ख) सहायक कलेक्टर द्वारा अवैध अध्यासन या क्षति के कारण आगणित की गई क्षतिपूर्ति को भू-राजस्व के बकाये तथा उक्त निष्पादन के लिये आगत हुए खर्च जैसा की उपनियम 4 में उल्लिखित है, वसूल किया जाये।

(4) वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा निष्पादन हेतु आये खर्च का उल्लेख ऐसी नोटिस में किया जायेगा जो कि निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जायेगी :-

(क) क्षति अथवा दुर्विनियोजन के प्रकरण में नुकसानी की रकम प्रचलित बाजार दर पर आकलित की जायेगी।

(ख) किसी भूमि पर अवैध अध्यासन की दशा में क्षतिपूर्ति की रकम प्रत्येक वर्ष के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर आगणित भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर होगी।


(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

(ग) निष्पादन हेतु आगत हुए खर्च का आगणन इस प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के आधार पर किया जायेगा।

(5) यदि भूमि पर अवैध रूप से अध्यासित व्यक्ति उसमें खेती किया है तो उसे फसल की कटाई करने तक उसके अध्यासन में बने रहने की इजाजत दी जा सकती है बशर्ते कि वह सर्किल रेट के अनुसार आगणित उस भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम जमा कर देता है जो कि समेकित गांव निधि में अथवा ग्राम पंचायत से भिन्न स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के निधि में जायेगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति आर०सी० प्रपत्र-20 की नोटिस में दी गयी अवधि के अन्दर उपरोक्त रकम का भुगतान नहीं करता है तो भूमि का फसल सहित कब्जा भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को दे दिया जायेगा:

परन्तु यह कि जहां ऐसा व्यक्ति उसी भूमि पर अथवा ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की अधिकारिता के अन्तर्गत किसी अन्य भूमि पर फिर से कब्जा करता है, वहां उसे उसकी उपज को लेने की इजाजत दिये बिना उससे बेदखल कर दिया जायेगा और उस भूमि का कब्जा उस पर स्थित फसल सहित भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को दे दिया जायेगा।

(6) सहायक कलेक्टर कारण बताओं नोटिस निर्गत किये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के अन्दर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही को पूर्ण करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(7) उपनियम (5) की कोई बात भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस व्यक्ति जो इस संहिता अथवा नियमावली के अन्तर्गत बेदखल कर दिये जाने के बावजूद दोबारा उसी भूमि पर अतिक्रमण करता है, को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 447 के अन्तर्गत अभियोजित करने से बाधित नहीं करेगी।

(8) प्रत्येक कलेक्टर के कार्यालय में आर०सी० प्रपत्र-21 में एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा जिसमें धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही में लगायी गयी नुकसानी और प्रतिकर के कारण वसूल किये जाने के लिये आदेशित रकम का विवरण दर्शाया जायेगा।

(9) ऐसा ही रजिस्टर प्रत्येक तहसीलदार द्वारा भी अनुरक्षित किया जायेगा जिसमें ऐसी कार्यवाही में अधिरोपित नुकसानी और प्रतिकर की वसूली दर्शायी जायेगी। तहसील पर अनुरक्षित रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों का मिलान कलेक्टर द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर से, उसमें की गयी प्रविष्टियों की यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिये, किया जायेगा।

(10) धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही में अधिरोपित नुकसानी और प्रतिकर की वसूली दर्शाने वाली प्रगति आख्या प्रति वर्ष अप्रैल और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन पर राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। परिषद जिलों से इस प्रकार प्राप्त आख्याओं को समेकित करने के पश्चात उसे सरकार के राजस्व विभाग को प्रेषित करेगा।

(11) नियम 66 और 67 की कोई बात किसी ऐसे मामले, जिसके लिये संहिता की धारा 67 के अन्तर्गत कोई आदेश पारित किया गया है, के सम्बन्ध में तत्समय लागू विधि के अनुसार सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में किसी व्यक्ति को अपना अधिकार, स्वत्व अथवा हित साबित करने से वर्जित नहीं करेगी।


(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

आर0सी0 प्रपत्र-19

(देखें नियम-66)

सहायक कलेक्टर को भूखण्ड के सम्बन्ध में धारा 67(1) द्वारा अपेक्षित सूचना

भूखण्ड संख्या.....क्षेत्रफल.....ग्राम.....परगना.....तहसील.....जिला.....

सेवा में,

सहायक कलेक्टर/तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

महोदय,

श्री.....पुत्र.....निवासी ग्राम.....परगना.....
तहसील.....जिला.....ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारी.....
को प्रदत्त भूमि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का अवैध रूप से अध्यासन किया है या नुकसान
दुर्विनियोजन कारित किया है या कारित कर रहा है :-

- (1) भूखण्ड संख्या.....
- (2) ग्राम.....
- (3) तहसील.....
- (4) भूखण्ड का क्षेत्रफल.....
- (5) नुकसान/दुर्विनियोजन/अवैध अध्यासन का विवरण.....
- (6) अवैध अध्यासन का वर्ष.....
- (7) कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित सम्पत्ति का बाजार मूल्य.....
- (8) दावाकृत नुकसानी.....

अतः आपसे निवेदन है कि है उपरोक्त अवैध अध्यासी के विरुद्ध नुकसानी/प्रतिकर की वसूली के
सम्बन्ध में और अवैध अध्यासी की बेदखली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक.....

भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष/सदस्य/सचिव

अथवा ग्राम सभा का कोई अन्य सदस्य

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

आर0सी0 प्रपत्र-20

[देखें नियम-67(2) और 67(5)]

न्यायालय सहायक कलेक्टर/तहसीलदार :

तहसील : जनपद :

वाद संख्या : वर्ष :

ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारी :

बनाम्

सेवा में,

श्री

पुत्र

निवासी

चूँकि भूमि प्रबन्धक समिति.....के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव/.....(अन्य सूचनादाता का नाम और पता)/.....(स्थानीय प्राधिकारी का नाम) की आख्या/सूचना दिनांकित.....से मेरा समाधान हो गया है कि

(क) अधोलिखित संपत्ति को हानि पहुंचाया है या पहुंचा रहे हैं;

(ख) अधोलिखित संपत्ति का दुर्विनियोजन किया गया है;

(ग) अधोलिखित संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है;

ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गयी सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में यह नोटिस है, का विवरण

1. भूखण्ड संख्या :
2. ग्राम :
3. तहसील :
4. भूखण्ड का क्षेत्रफल :
5. क्षति/दुर्विनियोजन/अवैध कब्जे का विवरण :
6. नुकसान पहुंचायी गयी/दुर्विनियोजित/अवैध अध्यासन की सम्पत्ति का बाजार मूल्य.....
7. दावाकृत क्षतिपूर्ति:.....
8. निष्पादन व्यय :

अतः एतद्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि आप.....दिनों के अन्दर (1) अवैध अध्यासन को हटा लें और रु.....की नुकसानी जमा कर दें और यदि आप भूमि खाली करने के पहले फसल काटना चाहते हैं तो रु.....की अग्रेतर धनराशि भाटक के रूप में जमा कर दें; (2) नुकसान की मरम्मत करें अथवा दुर्विनियोजन के कारण हुयी क्षति को पूर्ण करें अथवा/और रु..... ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गयी भूमि के नुकसान अथवा दुर्विनियोजन के लिये नुकसानी के रूप में जमा करें; (3)..... करें अथवा करने से विरत रहें और दिनांक.....को समय.....को मेरे कक्ष संख्या.....में मेरे समक्ष इस नोटिस के पालन की सूचना के लिये अथवा उसके विरुद्ध कारण बताने के लिये उपस्थित हों।

आप को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उल्लिखित दिनांक और समय को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं और कारण बताओं नोटिस के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं करते हैं तो मामले में विनिश्चय किया जायेगा और आपके विरुद्ध एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर अथवा न्यायालय की मुहर से दिनांक20..... को जारी किया गया।

पीठासीन अधिकारी.....

पदनाम

दिनांक.....

नोट:- नुकसानी भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष के पास या स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के पास जमा की जा सकती है और उसकी रसीद प्राप्त की जा सकती है।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

आकार पत्र 67 (क)

अतिक्रमण विरोधी अभियान की कार्यवाही की आख्या
प्रारूप

जिला :- तहसील :- परगना :- ग्राम :-

राजस्व ग्राम का यूनीक कोड (6 अंक) :-

विवादित भूमि का - गाटा संख्या:- यूनीक कोड (16 अंक) :- क्षेत्रफल :-

अतिक्रमणग्रस्त भूमि का क्षेत्रफल एवं चौहद्दी :-

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-

पक्षकारों के नाम :-

अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की तिथि एवं समय :-

अतिक्रमण विरोधी दस्ते के प्रमुख का नाम व पदनाम :-

अतिक्रमण विरोधी दस्ते में सम्मिलित राजस्व अधिकारियों का नाम व पदनाम :-

1.

2.

अतिक्रमण विरोधी दस्ते में सम्मिलित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों/होमगार्ड के नाम व पदनाम :-

1.

2.

अतिक्रमण विरोधी दस्ते में लगाये गये मजदूरों की संख्या :-

अतिक्रमण विरोधी दस्ते में प्रयोग की गई मशीनों/उपकरणों/ट्रैक्टर आदि का विवरण :-

अतिक्रमण हटाये जाने के समय उपस्थित ग्राम राजस्व समिति के सदस्य व अन्य गणमान्य व्यक्तियों/गवाहों के नाम व पता :-

1.

2.

अतिक्रमण हटाने हेतु की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण :-

अतिक्रमण विरोधी दस्ते के प्रमुख का नाम व हस्ताक्षर

नोट :- अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के प्रारम्भ होने व उसकी समाप्ति के उपरान्त लिये गये फोटोग्राफ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किये जायें।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

आकार पत्र 67 (ख)

गणना शीट

1	न्यायालय का नाम :-			2	कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-		
3	पक्षकारों के नाम :-						
4	आदेश का दिनांक :-			5	जिला :-		
6	तहसील :-			7	परगना :-		
8	ग्राम का नाम :-			9	अतिक्रमित गाटा संख्या :-		
	ग्राम का यूनीक कोड (6 अंक) :-				अतिक्रमित भूमि/गाटे का कोड (16 अंक) :-		
10	अतिक्रमित भूमि का विवरण :-	(क) अतिक्रमित गाटे का कुल क्षेत्रफल		(ख) अतिक्रमित क्षेत्रफल			
11	अतिक्रमण विरोधी दस्ते के प्रमुख का नाम :-						
12	अतिक्रमण हटायें जाने की कार्यवाही की तिथि :-						
(घ)	अतिक्रमण की अवधि (माह/वर्ष):- (कुल अवधि की गणना हेतु)	कब से	कब तक	कुल अवधिवर्ष *	13	अतिक्रमित भूमि का सर्किल रेट के अनुसार वार्षिक मूल्य :-	
						आरोपित धनराशि (रूपये में)	
14	क्षतिपूर्ति की धनराशि (अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल X सर्किल रेट X अवधि X 0.05) :-	रूपये में				क्षतिपूर्ति की कुल आरोपित धनराशि	
15 (क)	अतिक्रमण हटायें जाने हेतु लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पद नाम			मासिक वेतन	एक दिन का वेतन		
(i)							
(ii)							
(iii)							
(iv)							
(v)							
योग (15 क) :-							
15 (ख)	अतिक्रमण हटाने हेतु लगाये गये उपकरण			प्रयुक्त उपकरणों का दैनिक किराया			
(i)							
(ii)							
(iii)							
योग (15 ख) :-							
15 (ग)	लगाये गये मजदूरों की संख्या :-			15 (घ)	कुल भुगतान की गयी मजदूरी		
15	अतिक्रमण हटाने हेतु निष्पादन व्यय की कुल धनराशि :- 15 (क)+(ख)+(घ)						
हर्जाना वसूली हेतु कुल आरोपित धनराशि (क्षतिपूर्ति+निष्पादन व्यय) (14+15) :-							

* खण्डित वर्ष की गणना भी पूर्ण वर्ष के रूप में की जायेगी।

नाम व हस्ताक्षर लेखपाल.....

नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर अतिक्रमण विरोधी दस्ते का प्रमुख.....
दिनांक.....

प्रतिहस्ताक्षरित तहसीलदार.....


(भोष्प लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

आकार पत्र 67 (ग)

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर/तहसीलदार जनपद

हर्जाना वसूली मांग पत्र

वाद संख्या :-	राजस्व संहिता 2006 की धारा :-
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-	आदेश का दिनांक :-
अतिक्रमणकर्ता का नाम व पिता/पति का नाम :-	अतिक्रमणकर्ता का पता :-

सेवा में,

तहसीलदार जनपद

संख्या :

दिनांक

विषय :- उपर्युक्त विवरणानुसार आदेश के क्रम में आरोपित हर्जाने की धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी ने उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अधीन उपरोक्त विवरणानुसार पारित आज्ञाओं का अनुपालन नहीं किया, अतः श्री/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी को जिला की तहसील....., के राजस्व ग्राम के गाटा संख्या....., (गाटे का यूनीक कोड) क्षेत्रफल से बेदखल कर राजस्व/पुलिस कर्मियों के द्वारा उसका कब्जा हटा दिया गया है और भूमि प्रबन्धक समिति के सभापति/स्थानिक अधिकारिकी को कब्जा दे दिया गया है। उपर्युक्त आदेशों एवं कार्यवाही के क्रम में श्री/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी..... से क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये और निष्पादन व्यय के

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

व्यय के रूप में रुपये, तदनुसार कुल हर्जाना धनराशि रुपये वसूल करने की भी आज्ञा दी जाती है।

यदि उक्त अतिक्रमणकर्ता द्वारा इस मांग पत्र में इंगित हर्जाना धनराशि 15 दिन के अन्दर समेकित ग्राम निधि में जमा नहीं करायी जाती है तो उस दशा में इस हर्जाना धनराशि की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (Recovery Certificate) जारी कर दिया जायेगा तथा उस दशा में सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता से हर्जाने की धनराशि के साथ-साथ नियमानुसार संग्रह प्रभार भी देय होगा।

बेदखली क्षति, दुर्विनियोजन की पूर्ति करने के लिये क्षतिपूर्ति धनराशि तथा निष्पादन-व्यय वसूल करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट के साथ इस आज्ञा की एक प्रति आपको इस प्रकार भेज देना चाहिये कि वह इस न्यायालय के पास दिनांक तक पहुंच जाय।

मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुहर लगाकर आज दिनांक को जारी किया गया।

न्यायालय की मुहर

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

पीठासीन अधिकारी का नाम

पदनाम.....

दिनांक.....



(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

आर0सी0 प्रपत्र-21

[देखें नियम-67(8)]

संहिता की धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही में पारित नुकसानी और प्रतिकर के कारण वसूली किये जाने के लिये आदेशित रकम के विवरण का रजिस्टर

तहसील.....जिला.....

क्रम सं०	प्रकरण संख्या एवं सन्	पक्षों के नाम	आदेश का दिनांक	वसूली किये जाने के लिये आदेशित रकम	वसूल की गयी रकम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त